झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

अधि0सं0–3 / पर्या0प्रदू0–52 / 2007– 3900 राँची / दिनांक– 18/09/17

चूँकि प्लास्टिक कैरी बैग, अल्पकालिक और दीर्घकालिक पर्यावरणीय नुकसान और स्वास्थ्य परिसंकट के कारक हैं;

और चूँकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 48–क, अन्य बातों के साथ–साथ, परिकल्पित करता है कि राज्य पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए प्रयास करेगा;

और चूँकि झारखण्ड सरकार की राय है कि प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग से पर्यावरण एवं मानव के साथ ही पशुओं के स्वास्थ्य को गंभीर एवं अपूरणीय क्षति हो रही है;

और चूँकि यह देखा गया है कि प्लास्टिक कैरी बैग गटर, मलनालियों एवं नालियों को भी अवरुद्ध करते है जिसके परिणामस्वरुप गंभीर पर्यावरणीय समस्याएँ होती है;

और चूँकि ऐसी समस्या के होने को रोकने की दृष्टि से, राज्य सरकार ने झारखण्ड राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र को "**प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त क्षेत्र**" के रुप में घोषित करने का विनिश्चय किया है;

अतएव, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों, जो अधिसूचना क्र0–एस.ओ. 352 (ई) नई दिल्ली, दिनांक–18.04.2001 से भारत सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा–23 के अधीन प्रत्यायोजित की गई है, को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार इस अधिसूचना के माध्यम से Plastic Carry Bags के विनिर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, विक्रय या उपयोग को संपूर्ण राज्य में पूर्णरूपेण प्रतिबंधित करने हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी करती है, अर्थात्

1. इस अधिसूचना के अंतिम गजट प्रकाशन की तिथि से झारखण्ड राज्य में कोई उद्योग, प्लास्टिक कैरी बैग का विनिर्माण नहीं करेगा और कोई व्यक्ति, जिसमें दुकानदार, विक्रेता, थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता, व्यापारी, फेरी लगानेवाला या रेहड़ीवाला आदि सम्मिलित है, माल / सामग्रियों के प्रदाय के लिए प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग नहीं करेगा तथा कोई व्यक्ति, प्लास्टिक कैरी बैग का विनिर्माण, भंडारण, आयात, विक्रय या परिवहन नहीं करेगा।

परन्तु यह कि किसी निर्यात आदेश के विरुद्ध केवल निर्यात हेतु विनिर्मित प्लास्टिक कैरी बैग को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 2(2) के अंतर्गत इस अधिसूचना के प्रयोज्यता से छूट होगी।

स्पष्टीकरण :– इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए शब्द "प्लास्टिक" और "कैरी बैग" का वही अर्थ होगा जैसा कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत परिभाषित है। खाद्य सामग्री, दूग्ध एवं दूग्ध–उत्पाद की पैकेजिंग तथा नर्सरी के पौधों के लिए प्रयुक्त आधान (कन्टेनर्स), कैरी बैग नहीं माने जायेंगे।

2. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 12(1) में विनिर्दिष्ट कृत्यों, जो इस अधिसूचना के लिये प्रासंगिक होंगे, के संबंध में प्रवर्तन का दायित्व झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का होगा तथा उक्त नियम के नियम 12(2) एवं 12(3) में विनिर्दिष्ट कृत्यों, जो इस अधिसूचना के लिये प्रासंगिक होंगे, के संबंध में प्रवर्तन का दायित्व क्रमशः स्थानीय नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत का होगा।

3. भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन जारी अधिसूचना क0–एस.ओ. 394 (ई) दिनांक–16.04.1987 में यथा उल्लिखित अधिकारी, इस अधिसूचना में शामिल विषयों के संबंध में इस अधिसूचना में निहित निर्देशों के उल्लंघन संबंधी शिकायत सक्षम न्यायालय में दर्ज करने हेतु प्राधिकृत होंगे।

4. इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तिथि से पूर्व प्रकाशित अधिसूचना सं0–3/पर्या0प्रदू0–62/2007–3691 व0प0, दिनांक–11.09.2013 निष्प्रभावी होगी, परंतु इसके निष्प्रभावी होने का प्रभाव उक्त अधिसूचना के अधीन दायर एवं विचाराधीन न्यायिक शिकायत वादों पर नहीं पड़ेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

15/9/17

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–3/पर्या0प्रदू0–52/2007– 3900 राँची/दिनांक– 15/09/2017

प्रतिलिपि–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के आलोक में इस विभाग की अधिसूचना सं0–...3900..., दिनांक–...15/09/2017...का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

15/9/17

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–3/पर्या0प्रदू0–52/2007– 3900 राँची/दिनांक– 15/09/2017

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी एक सौ (100) मुद्रित प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

15/9/17

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–3/पर्या0प्रदू0–52/2007– 3900 राँची/दिनांक– 15/09/2017

प्रतिलिपि–सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/वन महानिदेशक–सह–विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003 को सूचनार्थ प्रेषित।

15/9/17

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–3/पर्या0प्रदू0–52/2007– 3900 राँची/दिनांक– 15/09/17

प्रतिलिपि विकारा आयुक्त, झारखण्ड/गहागहिग राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, मुख्य सचिव का कार्यालय, झारखण्ड, राँची/सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची तथा मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

15/9/17

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–3/पर्या0प्रदू0–52/2007– 3900 राँची/दिनांक– 15/09/17

प्रतिलिपि–अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी–सह–मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/सभी मुख्य वन संरक्षक/सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची/सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, राँची तथा सभी संबंधितों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/9/17

सरकार के उप सचिव

Government of Jharkhand

Department of Forest, Environment and Climate Change

NOTIFICATION

Notification No.- 3/Praya Pradu-52/2007- 3900 Ranchi/ Date :- 15/09/17

Whereas, plastic carry bags cause short-term and long-term environmental damage and health hazard;

And whereas, Article 48-A of the Constitution of India, inter alia, envisages that the State shall endeavour to protect and improve the environment;

And whereas, the Government of Jharkhand is of the opinion that, the use of plastic carry bags is causing grave and irreparable injury to the environment and the health of human beings as well as animals;

And whereas, it is observed that plastic carry bags are also causing blockage of gutters, sewers and drains resulting in serious environmental problems;

And whereas, with a view to prevent the occurrence of such problems, the State Government has decided to declare the entire area of the State of Jharkhand as the **"Plastic Carry Bags Free Area"**;

Now therefore, in exercise of the powers conferred under Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (No. 29 of 1986) as delegated under Section 23 of the said Act by the Central Government vide Notification No. S.O. 352 (E) New Delhi, dated 18.04.2001, the State Government, by this notification, issues the following directions for the complete Ban of manufacture, import, storage, tranportation, sale and usage of Plastic Carry bags in all parts of the state; namely,

1. No industry shall manufacture plastic carry bags and no person including a shopkeeper, vendor, wholesaler or retailer, trader, hawker or rehriwala etc., shall use plastic carry bags for supply of goods and no person shall manufacture, store, import, sell or transport plastic carry bags in the State of Jharkhand with effect from the date of final publication of this Notification.

Provided that plastic carry bags manufactured exclusively for export purposes against any export order shall be exempted in terms of Rule 2(2) of the Plastic Waste Management Rules, 2016 from the application of this notification.

Explanation :- For the purpose of this Notification the words 'plastic' and 'carry bags' shall have the same meaning as defined under the Plastic Waste Management Rules, 2016. Containers used for packaging food material, milk and milk products and raising plants in nurseries shall not be deemed as carry bags.

2. Jharkhand State Pollution Control Board shall be responsible for enforcement in respect of the functions relevant to this notification and specified in clause (1) of Rule 12 of the Plastic Waste Management Rules, 2016, whereas the Urban Local Bodies and Gram

Panchayats shall be responsible for enforcement under their jurisdictions in respect of the functions relevant to this notification and specified in clause (2) and (3) respectively of Rule 12 of the said Rules.

3. Officers as mentioned in Government of India's Notification No. S.O. 394 (E) dated 16.04.1987 issued under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 shall be authorized to file complaints in the jurisdictional court of law against violation of directions contained in this notification.

4. From the date of final publication of this Notification, Notification No. 3/Parya.Pradush.-62/2007-3691 Van Parya., dated 11.09.2013 shall be superseded except in respect of things done or omitted to be done before such supersession. to the extent that complaint cases filed under previous the Notification are pending.

By order of the Governor of Jharkhand,

(Sunil Kumar)
Deputy Secretary to the Government.

Memo No-3/Praya Pradu-52/2007- 3900 Ranchi/ Date :- 15/09/2017

Copy forwarded to – Superintendent, Government Press, Doranda, Ranchi with a request to publish in extraordinary Gazatte.

Deputy Secretary to the Government.

Memo No-3/Praya Pradu-52/2007- 3900 Ranchi/ Date :- 15-/09/2017

Copy forwarded to – Principal Secretary to H.E. the Governor of Jharkhand, Ranchi/Principal Secretary to Honourable Chief Ministry of Jharkhand, Ranchi/Accountant General, Jharkhand, Ranchi/O.S.D. to Chief Secretary of Jharkhand/Secretary Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbag, Aliganj Road, New Delhi-110003/Secretaries/All Head of Department/All Divisional Commissioner/All Deputy Commissioner/Principal Chief Conservator Forest, Jharkhand, Ranchi/Principal Chief Conservator Forest-cum-Executive Director, Waste Land Development, Jharkhand, Ranchi/Principal Chief Consevator Forest, Wildlife and Chief Wildlife Warden, Jharkhand, Ranchi/Additional Principal Chief Consevator Forest-cum-Managing Director, Jharkhand State Forest Development Corporation Ltd., Ranchi/All Additional Principal Chief Conservator Forest/All Chief Conservator Forest/All Regional, Chief Conservator Forest/All Conservator Forest, Jharkhand/All Divisional Forest Officer, Jharkhand for information and necessary action.

Deputy Secretary to the Government.